SHRI C.T. DHANDAPANI : Sir, I am not satisfied with the Statement. I am walking out in protest.

16.18 Hrs.

Shri C.T. Dhandapani and some other Hon. Members then left the House.

MR. SPEAKER : Nothing will go on record. Now, Shri Ramavatar Shastri.

(*Interruptions*)*

16.19 Hrs.

PRONOTION OF A CASTELESS AND RELIGIONLESS SOCIETY BILL—*Contd.*

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, श्रीमती विद्या जी ने यह जो गैर सरकारी विधेयक पेश किया है और जिस पर सदन में बहस चल रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं दो-तीन बातों की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं।

श्रीमती विद्या जी ने इस तरह का विधेयक पेश करके प्रशंसनीय कार्य किया है। इस विधेयक के द्वारा इन्होंने मांग की है, अनुरोध किया है कि जाति सूचक और धर्म सूचक बातें फार्मों से हटाई जाएं। इस तरह की बातें बहुत सारे आवेदन पत्रों के कालमों में होती हैं, धर्म या जाति से संबंधित बातें हमारे देश के कोने-कोने में पूछी जाती हैं। इनको हटाया जाना चाहिए।

श्रीमती विद्याजी अंतरजातीय विवाहों की भी समर्थक हैं। मेरे खयाल से इनके परिवार के प्राय: सब लोगों ने अन्तरजातीय विवाह किए हैं। खुद इनकी बड़ी बहन ने एक अनुसूचित जाति के लड़के के साथ अपना विवाह किया है। इनका विवाह भी अन्तर्जातीय है। इस तरह का विधेयक पेश करना इनके अनुरूप ही है।

दूसरी बात यह है कि इनका पूरा परिवार अनीश्वरवादी है जो मुझे सब से ज्यादा पसन्द है क्योंकि हम भी अनीश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इनके पिता जी, इनकी माता जी, इनके परिवार के सब लोग अनीश्वरवादी रहे हैं और अनीश्वरवाद का प्रचार करने के लिए इनके पिता जी ने एक केन्द्र भी स्थापित कर रखा है।

अब यह जाति और धर्म कितनी गड़बड़ पैदा करता है हमारी समाज में यह सब को मालूम है। हमारे डागा जी ने विधान की दुहाई दी है। विधान में ठीक ही कहा गया है कि हमारा देश निरपेक्ष सिद्धान्तों पर चलेगा, देश की एकता को बनाए रखेगा और इसके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को दूर करेगा। जातपात का कालम रखना था यह पूछना कि तुग किस धर्म में विश्वास करते हो इससे हमारी एकता मजबूत नहीं होती, बल्कि कमजोर बनती है। पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों की रचना किस ने की ? मनु जी ने की और उन्होंने मनु स्मृति के जरिये इस तरह की देश को तोड़ने वाली बात कह कर या ऊंच नीच की भावना बढ़ाने वाली बात कह कर समाज का बड़ा अहित किया। अब हमें उस अहित को सुधारना है। सब से जो नीचे हैं उनको प्रताड़ित करो, ऐसा कह कर उन्होंने समाज में शोषण की बुनयाद डाली। ऐसे तो पहले से भी वह बुनियाद पड़ चुकी थी लेकिन उन्होंने उसको और मजबूत किया और जातपात पैदा करने में उन्होंने सहायता की। इसको इस बिल के जरिये हम को तोड़ना चाहिये। यह ठीक है कि इस बिल से समाज में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश की एकता या तमाम लोगों को हम सुखी देखें, सभी मिलजुल कर रहें, वैसा होना सम्भव नहीं है, फिर भी हम इससे कुछ आगे कह सकते हैं, देश की एकता को बनाए रखने में इससे सहायता मिल सकती है। जात-पात का कालम हटाने से धर्म का कालम हटाने से इस में सहायता मिल सकती है। जब मर्दुम

*Not recorded.

शुमारी होती है तो पूछा जाता है कि तुम किस धर्म के हो, जात के हो। 1940 और 1941 में मैं बनारस सेंट्रल जेल में था। मर्दुम शुमारी हो रही थी। मर्दुम शुमारी करने वाले मेरे पास आए और पूछने लगे कि तुम किस धर्म को मानते हो, किस जात के हो। मैंने कहा कि मैं हिन्दुस्तानी हूं। लेकिन मेरे नाम के आगे हिन्दुस्तानी नहीं लिखा गया, जबर्दस्ती मेरा नाम हिन्दू के कालम में चढा दिया गया। उस समय मैं शास्त्री नहीं था, शास्त्री की पढ़ाई कर रहा था।

यह ठीक है कि जिस तरह के समाज की हम कल्पना करते हैं, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की, वह इस पूंजीवादी समाज के घेरे में नहीं बन सकता है। उसके लिए हमें समाजवादी व्यवस्था को लागू करना होगा। पूंजीवाद को तोड़ना होगा। समाजवादी देश जिस तरह से अपने देशों में जाति प्रथा समाप्त कर चुके हैं, धर्म को राजनीति से अलग कर चुके हैं और जो व्यवस्था वहां है, शोषण-विहीन व्यवस्था, उसको बनाने के लिए हमें बहुत संघर्ष अभी करना बाकी है। इस विधेयक को पास कर देने से वह काम नहीं होगा, यह बात ठीक है। लेकिन कुछ आगे तो हम बढ़ेंगे। इसी अर्थ में मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इस तरह के विधेयक का समर्थन सरकार को भी करना चाहिये और हम में से सब को करना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यह पास हो जाएगा तो यह जो आरक्षण की बात है, इस में गड़बड़ी हो जाएगी।

16.23 Hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

आरक्षण में अभी क्या लिखा जाता है? यह अनुसूचित जाति है और ब्रैकिट में लिखते हैं पासवान, गुराइत, चमार। बैकवर्डक्लास में भी पिछड़ी जाति के लिख सकते थे लेकिन ब्रैकिट में लिखते हैं यादव, कुर्मी वगैरह। यह सब लिखने की क्या आवश्यकता है? आप जिनको आरक्षण देते हैं, वगैर जाति के लिखे भी दे सकते हैं। लेकिन आरक्षण के नाम पर स्कूल-कालेज के फार्मों में यह कालम बना रहे तो इससे लोगों में ऊंच-नीच की भावना बनी रहती है। इसलिये इसको हटाना चाहिये। आप जानते हैं धर्म क्या करता है? हम आपकी तरह धर्म में विश्वास करने वाले नहीं हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय,

सभापति महोदय : समय थोड़ा है, इस तरह आप नहीं बोलें। यह नहीं हो सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : चमार जाति जो ब्रैकेट में रहेगा, उसको आप खत्म कीजिये।

श्री राम प्यारे पनिका : कैसे कहेंगे कि अनुसूचित जाति का है? दूसरे भी लिख सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अभी भी गलत लिखा जा सकता है। पटना मैडिकल कालेज में ऊंची जाति के एक छात्र ने हरिजन का नाम लिखकर प्रवेश ले लिया।

पुराने जमाने में भी, योरूप में भी, दूसरे देशों में भी हमारे देश में भी, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की धींगा-मुस्ती होती है, आपस में झगड़ा हो जाता है, यह सर्वविदित है। अभी हम हिन्दू मुसलमान साथ साथ हैं, लेकिन धर्म की ऐसी भावना फैलाई जाती है कि आपस में एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। इसी अर्थ में "लेनिन" ने कहा था—

"Religion is the opium of the masses."

धर्म अफीम है। अफीम की तरह यह उनके दिमाग को खराब कर देते हैं और वह आपस में कटने-मरने लगते हैं।

इनके बिल का मतलब तो सीमित है कि सभी जगह धर्म और जाति का कौलम हटा दो, उसमें क्या झंझट हो सकता है? इसके लिये संविधान का उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो अमल में नहीं आ रही हैं।

इसको अमल में लाइये, धर्म-जाति का कालम हटाइये । इससे आपके समाज में मामूली परिवर्तन ही हो रहा है लेकिन एक आगे बढ़ाने का विधेयक है इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं । जो पुरानी विरासत है, उसको हटाइये, अगर वह रहेगी तो समाज की एकता नहीं बन सकेगी । हम एक तरफ एकता के लिये प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वह एकता बन नहीं सकेगी ।

मैं वर्गविहीन समाज की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें ही शोषण से मुक्ति मिल सकती है । आर्थिक और राजनीतिक शोषण को मिटाने की बात इस विधेयक में नहीं कही गई है लेकिन जाति और धर्म को ही आप हटा सकेंगे तो इससे देश की एकता को आगे बढ़ने में भाई-चारा स्थापित करने में ज्यादा मदद मिलेगी । इस अर्थ में इस विधेयक का समर्थन आमतौर से लोगों ने किया है, मैं भी समझता हूं कि आगे बढ़ने वाला विधेयक है, इसका समर्थन किया जाना चाहिये ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती विद्या चैन्नुपति ने जो बिल लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा है कि टेकनिकल और नान-टेकनिकल स्कूल-कालेजों और सर्विसिज में जो फार्म वगैरह भरे जाते हैं, उनमें से मजहब और कास्ट का कालम हटा दिया जाए । जिस कम्युनिटी को मैं बिलांग करता हूं, उसमें कास्ट का मसला नहीं है । लेकिन यह देखने में आया है कि कास्ट का काफी असर पड़ता है—नौकरी की इन्टरव्यु और दाखिले की इन्टरव्यू में भी उसका असर पड़ता है । हालांकि इन्टरव्यु लेने वाला जाहिर न करे, लेकिन उसके मन में साफ्ट कार्नर हो जाता है कि यह आदमी मेरी कम्युनिटी का है । अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती । लेकिन इसमें और कितना वक्फा लगेगा, यह मैं नहीं कह सकता ।

आनरेबल मेम्बर ने इस बिल में नेशनल इनटेग्रेशन की बात कही है । इस बारे में कास्ट और मजहब के साथ साथ रिजन का भी एक बहुत बड़ा मसला है । पहले पंजाब एक स्टेट था, लेकिन लैंग्वेज के इस्यू पर पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स बन गई । अच्छा होता कि जिस तरह अमरीका में स्टेट्स बनाने के लिए सीधी लाइन्ज ड्रा कर दी गयी, उसी तरह हमारे मुल्क में भी किया जाता । हो सकता है कि इस तरह एक स्टेट में दो लैंग्वेज वाले लोग हो जाते । आज हमारे मुल्क में 28, 29 स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज हैं । अगर यहाँ पर माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ ज्योग्रेफीकल और दूसरे खास मुश्किलात का ख्याल रखते हुए स्टेट्स बनाने के लिए लाइन्ज ड्रा कर दी जाएं, तो शायद जुबान का झगड़ा भी खत्म हो जाए और नैशनल इनटेग्रेशन करने में फायदा हो । अगर आनरेबल मेम्बर ने अपने बिल में रिजन-लैस को भी इनवूलड किया होता, तो बड़ा अच्छा होता ।

जहां तक मौजूद बिल का ताल्लुक है, मैं फार्मों में से कास्ट और रिलिजन के कालम को हटाने की ताईद करता हूं । हो सकता है कि इस वक्त यह बिल पास न हो । सरकार के सामने कुछ मुश्किलात भी हो सकती है । लेकिन इन कालमों को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है । इससे मुल्क के इनटेग्रेशन में मदद मिलेगी । यह जरूर होना चाहिए ।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

شری پی۔ نام گیال (لداخ)

مانیے سبھاپتی مہودے ۔ شریمتی ودیا چینوپتی نے جو بل لایا ہے میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل اسکول، کالجوں اور سروسز میں جو فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں ان میں سے مذہب اور کاسٹ

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या, श्रीमती विद्या चेन्नुपति, के इस बिल की भावना और इसके उद्देश्यों की बड़ी कद्र करता हूं। सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने इस बिल में कोई ज्यादा नहीं चाहा है। सिर्फ दो ही बातें हैं। एक तो यह कहा है कि नौकरी के लिए जो फार्म हैं उसमें जातिसूचक शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरे जो सार्वजनिक संस्थायें हैं उनको भी ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जिनसे जाति या धर्म का बोध हो। यदि देखा जाए तो जब से यह जाति का बवाल चला है तब से मेरा खयाल है इतिहास यही बताता है कि धर्म ने जहां एक तरफ नैतिकता को ऊंचा करने में इन्सान को आगे बढ़ाया है वहीं पर बहुत सी संकुचित भावनायें भी पैदा की हैं जिससे दुनिया में अशांति पैदा हुई है, विघटन हुआ है और धर्म ने बहुत अन्धविश्वास भी पैदा किया है। यदि मैं यह कहूं कि धर्म के कारण ही यह देश गुलाम हुआ तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। जब मोहम्मद गजनी ने काठियावाड़ में शिव मन्दिर पर हमला किया था तो वहां के पंडितों ने कहा था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यह शिव लिंग उठेगा और मोहम्मद गजनी को तोड़ देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के अन्ध-विश्वास में डालकर भारतीय अवाम को गुलाम बना दिया गया। इस तरह की बहुत सी दूसरी घटनायें भी हैं। यह बात सही है कि हमारी जो संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं उसने अनेकता में एकता पैदा की है।

अभी श्री डागा जी ने संविधान के दो आर्टिकल्स का यहां पर उदाहरण दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह आर्टिकल्स अपनी जगह पर दुरुस्त हैं लेकिन यहां पर आर्टिकल्स और संविधान का प्रश्न नहीं है, यहां पर व्यक्ति का प्रश्न है। श्री नामग्याल जी ने ठीक कहा है कि अगर अमुक जाति का व्यक्ति किसी इन्टरव्यू में बैठा है और उसे मालूम हो जाए कि अमुक

کا کالم ہٹا دیا جائے۔ جس کمیونٹی کو میں بلانگ کرتا ہوں اس میں کاسٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کاسٹ کا کافی اثر پڑتا ہے۔ نوکری کی انٹرویو اور داخلے کی انٹرویو میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ انٹرویو لینے والا ظاہر نہ کرے لیکن اس کے من میں سافٹ کارنر ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میری کمیونٹی کا ہے۔ اگر اس قارون کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں اور کتنا وقفہ لگے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔

آنریبل ممبر نے اس بل میں نیشنل انٹی گریشن کی بات کہی ہے۔ اس بارے میں میں کاسٹ اور مذہب کے ساتھ ساتھ ریجن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے پنجاب ایک اسٹیٹ تھا لیکن لینگویج کے اشو پر پنجاب اور ہریانہ دو اسٹیٹس بن گئیں۔ اچھا ہوتا کہ جس طرح امریکہ میں اسٹیٹس بنانے کے لئے سیدھی لائنز ڈرا کر دی گئی اس طرح ہمارے ملک میں بھی کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ایک اسٹیٹ میں دو لینگویج والے لوگ ہو جاتے۔ آج ہمارے ملک میں ۲۸-۲۹ اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز ہیں۔ اگر یہاں پر مائنر ایڈجیسٹمنٹ کے ساتھ جیوگرافیکل اور دوسرے خاص مشکلات کا خیال رکھتے ہوئے اسٹیٹس بنانے کے لئے لائنز ڈرا کر دی جائیں تو شاید زبان کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور نیشنل انٹی گریشن کرنے میں فائدہ ہو۔ اگر آنریبل ممبر نے اپنے بل میں ریجن لیس کو بھی انکلیوڈ کیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔

جہاں تک موجودہ بل کا تعلق ہے میں فارموں میں سے کاسٹ اور ریلیجن کے کالم کو ہٹانے کی تائید کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بل پاس نہ ہو۔ سرکار کے سامنے کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان کالموں کو ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے ملک کے انٹی گریشن میں مدد ملے گی۔ یہ ضرور ہونا چاہیئے۔

ان چند الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی تائید کرتا ہوں۔

लड़का उसी की जाति का है तो निश्चित है कि वह पक्षपात करेगा।

मैं श्री रामावतार शास्त्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में नाम भी जातिसूचक होते हैं। यह "रामावतार" क्या है? "रामावतार" लिखने से ही कोई समझ जायेगा कि वे हिन्दू हैं। हरिजन के नाम के दोनों तरफ राम रहेगा जैसे राम स्वरूप राम, जगजीवन राम। तो यह परिस्थिति बड़ी गम्भीर है और हम बहुत गहराई में चले गए हैं इसलिए केवल इसी से काम चलने वाला नहीं है। हमें देश में एक ऐसी भावना पैदा करनी होगी जिससे जाति का भाव ही न रह जाए।

अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन हुआ है—यह कौन सा गठबन्धन है? यह गठबन्धन बड़ा नापाक है। एक जातिगत हैं और दूसरे साम्प्रदायिक हैं। अगर यह दोनों मिलते हैं तो देश में कौन सी स्थिति पैदा होगी? आज हमारे देश में जो जातीय संगठन बन रहे हैं या सम्प्रदाय के नाम पर संगठन बन रहे हैं उनसे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारी बहन ने यहां पर यह जो बिल रखा है उसके माध्यम से उन्होंने इस देश के अवाम को बड़ी गहराई के साथ सोचने-समझने का मौका दिया है। गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है:

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:

गुणकर्म के आधार पर चार वर्ण बनाए गए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने के लिए, यहां पर जो विघटनकारी तत्व हैं—चाहे पोलिटिकल पार्टीज में या धार्मिक संगठनों में—उन पर रोक लगानी होगी। जो भी लोग देश में विघटनकारी प्रवृत्ति पैदा करते हैं उनको दबाना होगा। मैं समझता हूं सरकार को इस सम्बन्ध में एक कांप्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए। बहनजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापिस लेलें। उन्होंने इस बिल को लाकर जो सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है वह प्रशंसनीय है और इस बिल को लाने के पीछे जो उनकी भावना थी उसकी पूर्ति हो गई है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे सोच-विचार कर इस सदन के सामने एक कांप्रिहेंसिव बिल पेश करें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Mr. Chairman, at the outset I would like to say that I am grateful to all those members who have participated in this very important discussion, particularly to Shrimati Vidaya, who initiated this discussion. The aim and object of this discussion is to see that a casteless society is ushered in our country. So much of interest was generated in this House, as you would have yourself observed, that the time had to be extended and we had been discussing this Resolution for two days This only shows the interest the members have shown in this discussion.

I feel that there should be more of this sort of discussion mobilise the public opinion. During the course of the discussion many valuable suggestions were made to the Government, which I have noted. Whenever we frame our policy for the future, naturally we will be benefited by these suggestions.

Though some of the members, while speaking on this subject, projected the viewpoint of their party, all the members have expressed the view that a casteless society should emerge. While initiating the debate, Shrimati Vidya referred to the forces of disintegration, based on communal and caste considerations. She also stressed that the forces of secularism must unite to carry on the relentless fight against the divisive forces. This is the theme which she developed while making her speech.

There cannot be any disagreement or two opinions on the intentions of Shrimati

Vidya. The hon. Member from the CPM, Shri Ajit Bag, while he admitted that his aim is to have a casteless society, feels that it is possible only through a total revolution. I totally disagree with that view, but I cannot deny him the right to hold his view. All the same, he also wants a classless society. All the other hon. Members who have spoken also expressed the need for avoiding casteism. That was the theme of the speech of all hon. Members.

Government agree that this is the order of the day and it is in line with the secular policy of the Government that casteism should not be the basis for anything.

Sir, as has been rightly said by Mr. Daga, the Constitution of India by which the people of India have resolved to constitute India as sovereign, socialist, secular, democratic Republic, makes specific provisions to guarantee the freedom of thought, expression, faith, belief and worship, equality -- social, economic and political justice and fraternity among all communities. So, this is where we stand according to our Constitution. Not only that. There are various other provisions in the Constitution which provide with the driving force for the removal of caste distinctions. In this connection I will just mention one or two Articles.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : I think we are not moving in that direction.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : We are moving. If you look inlo Article 15 of the Constitution, you will find that it prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. Again, if you see Article 17 which is very very specific, you will find that untouchability which is considered to be the most prominent evil of the caste system has been abolished under this Article.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : But still it is being practised.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : Not only this. Special facilities are also provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who form a major portion of the weaker sections of our society. Thus you will find the various provisions of the Constitution and the various laws enacted both by the Centre and State Governments are meant for removal of caste system from our country.

Again, we have our laws here. We have the Protection of Civil Rights Act, 1955. I will specifically mention some of the Acts which directly deal with this problem. This Protection of Civil Rights Act had been passed to ensure that any practice of the evil of untouchability can be punished.

MR. CHAIRMAN : What is that Act ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : That Act is Protection of Civil Rights Act, 1955.

I would also like to bring to the notice of the hon. Members that the Central Government has also taken other numerous measures in this regard. For example, in the census enumerations since 1951 no entry about caste is made in the records except in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which we have to do, I think, under the Constitution.

MR. CHAIRMAN : In her Bill also there is a proviso which she has referred to.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : I will come to that. I am just enumerating some of the steps taken in regard to removal of caste distinctions. It has been decided that reference to caste or sub-caste in all matters connected with the State and its Services should be abolished. These are the specific directives we have given. Other legislative and executive measures pertaining to protection of women, land reforms, indebtedness, alienation of land, legislation on inequalities of income, expansion of employment opportunities etc. have been undertaken which help in the reconstruction of our social order and raising the social and economic status of the people of all castes, particularly the under-privileged.

Sir, in this regard I would also like to mention here about the National Integration Council and its Committees.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : जो इन्टर-कास्ट मैरिज करते हैं या जो इन्टर-कास्ट कपल हैं, उन को आप कोई फैसीलिटीज देने की बात सोच रहे हैं ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : You all know very well that we are also moving in that direction. I will refer to this also a little later.

I was telling that the National Integration Council and its Committees on education and communal and caste harmony bring out a national level forum on imparting education and to mobilise public opinion to eradicate evils of casteism and communalism.

MR. CHAIRMAN : Are you going in any way to encourage that sort of thing by allowing them in some way or the other ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : I will answer this point.

With a view to promote the image of secularism and fraternity among communities, the Government encourages inter-caste and inter-religion marriages.

MR. CHAIRMAN : In what way ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : We give some sort of monetary benefits for inter-caste marriage. Some of the State Governments provide specific incentives in this direction. All these details are not with me, but I know that they are giving benefits.

To promote national amity and ingredients of our national life, three language formula has been formed.

16.51 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The hon. Members have suggested various measures. We are moving in this direction. Government is seized of the evil of the caste system. Its policies and programmes are directed towards lessening the effects of the caste system. I can inform the hon. House that the basic approach to our development planning has been to evolve a socialistic pattern to ultimately achieve a classless society in our country.

At this moment I would like to appeal hon. Members what is needed is to change the mental attitude of everybody. Irrespective of caste and creed people should work together to eliminate the evils of caste system.

Point has been raised and I like to say that casteless and religionless society cannot be promoted by simply not mentioning the caste in various forms. Many Members have already said about this. In our country the name itself indicates the religion. It is a fact of life. You cannot ignore it. Therefore, no useful purpose will be served by the provisions in the Bill which has been brought before the House.

In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes record is necessary to give them certain benefits as is contemplated in the Constitution itself.

What is required is the change of heart of the people. We should respect other religions and work together for the progress and unity of the country. This feeling of co-existence and mutual respect may improve the atmosphere thereby solving the problem.

I have in short tried to explain the view point of the Government and I would now request Shrimati Vidya Chennupati to withdraw her Bill.

Once again I would like to thank the hon. Members for their valuable views.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let her also speak.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मैं इस सदन में लाई हूं वह इसलिए लाई हूं कि मैं देख रही हूं कि समाज में कैसे चल रहा है। जाति और धर्म के नाम पर जो कुछ समाज में चल रहा है, उसको हमें कैसे मिटाना है। हमारे देश का कांस्टीच्युशन सेक्युलर है लेकिन ट्रेडीशनल्ली हम जो चले आ रहे हैं उससे हम सेक्युलर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इसके लिए एक तरफ कानून की जरूरत है और दूसरी तरफ हमें आम जनता का माइन्ड चेंज करना है।

जनता का माइन्ड कैसे चेंज हो ? इसके लिए एक तरफ कानून की जरूरत है और दूसरी तरफ जनता में काम करके उसके माइन्ड को चेंज करने की। हमारे कुछ सदस्य कहते हैं कि अगर इकोनोमिक डवलपमेंट होगा तो यह बात भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत इकोनोमिक डवलपमेंट की है लेकिन उसके बाद भी लोगों के माइन्ड से जो रिलीजस कान्ससनेस है वह नहीं निकलती है। जब तक ये कालम रहेंगे तब तक हम उनके माइन्ड से कास्ट कांशसनेस, रिलीजन कांशसनेस को नहीं निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट एंप्लायज के मन में भी यही कांशसनेस होती है इसलिए वे इन कालमों को भरने के लिए इंसिस्ट करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए, उनके लिए अलग फार्म रखिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : That can be done only when you establish a casteless society.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : नहीं, इसके वगैर भी कर सकते हैं। अलग फार्म रखिए। जिनको रिजर्वेशन चाहिए वे उनको भरेंगे। कालम के रहते हुए हम किसी के माइन्ड को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके रहते हुए हम गवर्नमेंट आफिशियल्स को, आम जनता के माइन्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। चाहे हम जितने भी यहां पर नियम बना लें, जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसे देखने से लगता है कि यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका माइन्ड पर इम्प्रेशन बहुत पड़ता है।

कुछ लोगों ने कहा है कि इन्टरकास्ट मैरिज बाद में प्राब्लम बन जाती है। मैंने इन्टरकास्ट मैरिज की है और अब अपने बच्चों की शादी भी इन्टरकास्ट कर रही हूं। कोई प्राब्लम नहीं है। मैं अपने बच्चों की शादी उन्हीं लोगों में कर रही हूं जो अपने आपको कास्ट लैस डिक्लेयर करते हैं। तमिलनाडु में पेरया जी ने और आंध्रप्रदेश में गौड़ा जी ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य करके दिखाया है। हम लोगों ने हजारों इन्टर-कास्ट शादियां करवाई हैं।

जो लोग अपने आपको कास्ट लैस डिक्लेयर करते हैं उनके लिए इन कालमों को भरने में दिक्कत आती है। इन कालमों के रहते हुए वे अपने आपको कास्टलैस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उनके लिए अलग फार्म रखिए। सारे सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि इन कालम्स को निकालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्या हो सकता है। जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था तब भी लोग यही कहते थे कि इस तरह से एक-एक आदमी के सत्याग्रह करने से क्या स्वराज आएगा।

कांस्टीट्यूशन में अनटचेबिलिटी के लिए प्रावधान किया गया है। अभी तक हम अनटचे-बिलिटी को समाप्त नहीं कर सके हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको ये कालम नहीं चाहिएं।

इस बिल के जरिए मैं यह भी मांग करती हूं कि जो इन्टरकास्ट मैरिज करते हैं उनको कुछ इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह से इन्सेंटिव दिया जा रहा है, इसकी जानकारी मेरे पास है। एक हजार से लेकर तीन हजार रूपए तक दिया जाता है। इससे काम नहीं होगा। उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा दे दीजिए, उनको एम्प्लाय-मेंट की सुविधा दे दीजिए। इसके लिए सभी सदस्यों ने मांग की है। इस बारे में जरूर सोचने की आवश्यकता है। हमने बहुत लोगों की इन्टरकास्ट मैरिज करवाई है। हमारे सामने कोई प्राब्लम नहीं आई। आंध्रप्रदेश में पेरया जी और तमिलनाडु में गौड़ा जी ने यह साबित कर दिया है कि वहां पर कोई प्राब्लम नहीं है। इससे प्राब्लम नहीं बढ़ेगी बल्कि हमारे अन्दर इन्सानियत बढ़ेगी। हमारे देश में आज जो

कम्युनल रायट्स सुनने को मिलते हैं वे नहीं होंगे ।

17.00 Hrs.

एक भाई ने कहा कि आजकल सब यह सोचते हैं कि मैं हिन्दू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं लेकिन मैं हिन्दुस्तानी हूं, इसको कोई नहीं कहता है । यह बड़े अफसोस की बात है भारत देश के लिए । भारत में जो भी रहता है, सब हिन्दुस्तानी हैं, इन्सान हैं । इस चीज को हटाने के लिए मैं इस लिए भी कह रही हूं कि नेशनल दृष्टिकोण हमारा बनना चाहिये । कास्टिज्म और रिलिजन को बढ़ावा देने से इन्टेग्रेशन के रास्ते में बाधा पहुंचती है । हमारा सैक्युलर देश है । हम भारतवासी हैं । हम सब इन्सान हैं । सब को कहना चाहिये कि हम भारतवासी हैं, हिन्दुस्तानी हैं, इन्सान हैं, न कि हम मुस्लिम हैं, हिन्दू हैं, सिख हैं । लोग ऐसा सोचें और कहें यही मेरा इस विधेयक को लाने की मंशा है । इसी को सामने रख कर मैंने अपने आइडियाज को आपके सामने रखने की कोशिश की है । मैं मुल्क का हित सोच रही हूं । हम सुबह अखबार खोल कर देखते हैं तो लगता है कि भारत देश तीन हजार वर्ष पीछे चला जाएगा । क्या भारत के टुकड़े हो जाएंगे ? इस तरह की खबरें पढ़ कर क्या हमारे दिलों में दर्द पैदा नहीं होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा सैक्युलर देश है तो सब से पहले हम को यह काम करना चाहिये कि कास्ट और रिलिजन के कालम को हम हटा दें । यह कोई बड़ी बात नहीं है । इससे कास्ट बैरियर्ज को तोड़ने में मदद मिलेगी । अगर हमारे सदस्य माने तो सारे सदन के सदस्य जो इस सदन में हैं, हमें इस मामले में पहल करनी चाहिये और इन बैरियर्ज को अपने में से अगर हम निकाल दें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी और आपकी आभारी हूंगी । यह पहला कदम होना चाहिये ।

कास्ट एण्ड रिलिजन कालम को निकालने के लिए मैं क्यों इन्सिस्ट कर रही हूं ? इस वास्ते कि आप तो फ्यूचर की सोचने के लिए कहते हैं लेकिन मैं अभी सोचने के लिए आपको कहती हूं । इससे रिजर्वेशन के मामले में कुछ असर नहीं पड़ेगा । इससे आम जनता को यह लगेगा कि भारत सैक्युलर है । आप कहते हैं कि संविधान में कहा गया है कि हमारा देश सैक्युलर है । लेकिन आम जनता यह नहीं सोचती है । वह भी सोचे और जातपात का उसको एहसास जिससे न हो, वह काम हम को करना चाहिये । इसलिए मैं इस पर इंसिस्ट कर रही हूं ।

यह कहा जाता है कि कास्ट और रिलिजन किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता है । सभी इन्सान दिखते हैं । व्हाइट और ब्लैक का जैसे यू एस ए में या अफ्रीका में सवाल है वह सवाल यहाँ नहीं है । हिन्दू मुस्लिम सब एक जैसे हमारे देश में दिखते हैं । किसी की शक्ल देख कर आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह अनुसूचित जाति का है या नहीं है । भारत के सभी इन्सान एक से हैं । देखने में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है । शक्लों में कुछ फर्क नहीं हैं । ब्राह्मण हो या अनुसूचित जाति का, उन में कोई फर्क नहीं है । यू एस ए में नीग्रो और व्हाइट्स में जो फर्क है वह यहां नहीं है । वह प्राब्लम हमारे यहां नहीं है । इस वास्ते मेरे विधेयक को मान लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इसका साइकोलोजिकल असर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा ।

राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया । सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया । लार्ड विलियम बेंटिंडिट को उन्होंने कानून बनाने के लिए प्रेरित किया था । तब स्त्री को भी पति के साथ चिता में जला दिया जाता था । आजकल हम उनको याद करते हैं और उनकी 150वीं सैंटेनरी मना रहे हैं अपने देश में और लंदन में भी । उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया वही काम आप महिलाओं के

लिए अन्तर्जातीय, अन्तर्धर्म और अन्तर्वर्ण के विवाहों को प्रोत्साहित करके करें क्योंकि इसका इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर ज्यादा पड़ता है। आप भी कुछ न कुछ इस सैंटेनरी वर्ष में महिलाओं के लिए करें। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मैं आप से यह काम करने के लिए कह रही हूं। इंदिरा जी कोई कास्ट की नहीं हैं। वह भारत देश की इन्सान हैं, हिन्दुस्तानी हैं। उनकी मैरिज कास्टलैस मैरिज है। बच्चों की मैरिज भी उन्होंने वैसे ही की है हालांकि वह अपने धर्म और जाति के लोगों से कर सकती थीं, लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा ? इसलिये कि वह नेशनल इंटेग्रिटी चाहती थीं। नेशनल इन्टेग्रिटी के नाम पर ही उन्होंने ऐसा किया।

इस मामले में उंनको हमारी, सदन की मदद चाहिये। हम चाहते हैं कि इसको बदल। हमारे यहां एक प्रोवर्ब है--आउट आफ साइट, आउट आफ माइन्ड। जब हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं तो उसको भूल जाते हैं। हमेशा जब कास्ट और रिलीजन का कालम रहता है तो हम उसको देखते हैं और भरते हैं। हम सोचते हैं कि इसको भरना चाहिये। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि कास्ट और रिलीजन न हो तो देश के चुनाव कैसे जीतेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर इसको आप निकाल देंगे तो यह दिमाग से दूर हो जायेगा।

हमारा ट्रेडीशनल माइन्ड है, ट्रेडीशनल आउटलुक हमारे देश में है जो कि बहुत ज्यादा है। हमारे कांस्टीट्यूशन में जो सोशलिस्टिक, डैमोक्रेटिक और सैकुलर बातें लिखी हैं, इसलिये यहां बैठकर आज इस सदन में हम यह बात कर सकते हैं इंदिरा जी के जरिये। यह किसी ने नहीं किया सिर्फ इंदिरा जी ने 1976 में इसे इन्ट्रोडूयूस किया। 1976 के बाद हम सैकुलरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। इंदिरा जी ने एक अच्छा निर्णय किया था। उसके नाते आज हम कास्ट और रिलीजन का कालम निकालकर सोचें, उसी तरीके से हम यह भी सोचें कि हम काम करने के लिये आगे आयें।

इस सदन के सदस्यों ने इसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया है, मैं उन सब की आभारी हूं क्योंकि उनके समर्थन का तरीका बहुत अच्छा है। सारे देश में किसी पार्टी का, किसी सदस्य का कोई डिफरैंस नहीं है। सब समझते हैं कि हमारा देश सैकुलर हो, हमारे देश में कौमुनल राइट न हों, हमारे देश में जाति के नाम पर लड़ाई न हो।

इस सदन में इस बिल का इतना यूनैनिमराली समर्थन आया है, यह बड़ी अच्छी बात है। यह मेरी अपनी प्राब्लम नहीं है, देश की सदन की प्राब्लम हैं। इसलिये सदस्यों ने जो समर्थन किया है, उसके लिये मैं सब का धन्यवाद करती हूं। हम भी यह परिवर्तन चाहते हैं और सरकार को भी थोड़ा बदलना चाहिये। इसलिये मैंने कहा कि जो एम्पलाईज हैं, सदस्य हैं वह सब पोलिटिकल कांशस नहीं बल्कि सोशलिस्टिक कांशस होना चाहिये। हमको रिलीजस कानून नहीं चाहिये, इन्सानियत को आगे बढ़ाइये ऐसा हम सोच रहे हैं।

यह तो लगता है कि हम पोस्ट रिलीजस सोसाइटी के हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, Mr. Ramavatar Shastri's religion and caste is communism.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I do not believe in religion and caste.

SHRI H. N. BAHUGUNA (Garhwal) : Sir, he should accept your advice because he is Ram and you are Lakshman.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ramavatar Shastri. I have only said that your religion and caste is communism.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : That is your ideology.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can accept it.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Allright. But please get her Bill accepted.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : इसलिये आने वाली सोसाइटी पोस्ट रिलीजस सोसाइटी होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you have to remove that, you have to bring a Constitution Amendment because under the Constitution the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being given some guarantee for some more years.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI : That is not a problem. We are not against reservation....

MR. DEPUTY-SPEAKER : For your information, 'backward classes' are also there. It was brought in by the First constitution Amendment. As far as Madras is concerned, 'backward classes' is also recognised by the Constitution. Mr. Dhandapani knows.

SHRI C.T. DHANDAPANI : Yes, there is the 1935 Act.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI : Reservations are given under the Constitution. Separate forms can be used for reservations. You can introduce it and they can fill in the form and after that they can get the benefits also.

MR. DEPUTY-SPEAKER : But people are adding to the number of Backward Classes.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI : We are not against any reservation.

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all right.

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कास्ट और रिलिजन के कालमों को निकाल दिया जाए। हमारी एक सैकुलर स्टेट है। जो लोग इन्टर-कास्ट और इन्टर-रिलिजन मैरिज करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई और एम्पलायमेंट के लिए कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए। जिन महिलाओं ने इन्टर-कास्ट और इन्टर-रिलिजन मैरिज किए हैं, वे अपने नाम के साथ अपने पति की कास्ट लगाती हैं। यह महिलाओं की कमजोरी है। इससे उनको मदद मिलेगी। जिस तरह राजा राम मोहन राय और विलियम वेंटिक ने हमारी मदद की थी, वैसे ही श्री सेठी और श्री लास्कर आज हमारी मदद करें और आज ही यह एनाउंस करें कि जो लोग इन्टर-कास्ट या इन्टर-रिलिजन मैरिज करेंगे, उनको मदद दी जाएगी।

हम इन्सानों की तरह भारत में रहना चाहते हैं, कास्ट और रिलिजन के नाते नहीं। हम देश की प्रगति के लिए सब काम करने के लिए तैयार हैं। स्वातंत्र्य-संग्राम में भी हमने पूरा किया था। तब से हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हम इस देश में एक सैकुलर सोसायटी चाहते हैं। अगर मिनिस्टर साहब अभी कोई एनाउंसमेंट नहीं कर सकते, तो वह बाद में कर दें।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : Most of the points she has mentioned I have replied in detail.

Regarding inter-caste marriages we are looking into it. There are various sechemes with the State Governments. I have also explained our views. There are certain difficulties which cannot be removed through this Bill.

In view of what I have said, I request the hon. Member to withdraw her Bill and I think she is doing it.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : You bring a new Bill.

SHRI H. N. BAHUGUNA : Let him bring a Bill... This is no good.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI : I am withdrawing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the promotion of a casteless and religionless society in India."

The motions was adopted.

SHRIMATI VIDYA CHENNUPATI : I withdraw the Bill.

PROF. N.G. RANGA : You have done your duty.

SHRI H. N. BAHUGUNA : You have done a good work.

17.14 Hrs.

BAN ON EXPOSURE OF WOMAN'S BODY IN ADVERTISEMENTS BILL*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up the next Bill. Shri Mohan Lal Patel.

श्री मोहन लाल पटेल (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बिल बैन आन एक्सपोजर आफ वोमैन्ज बाडी इन एडवरटाइजमेंट्स बिल यानी विज्ञापनों में नारी शरीर प्रदर्शन पर पाबन्दी विधेयक है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे भारत की महिलाओं की जो फीलिंग्ज हैं जो लोग सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्ज हैं, उनको इस सदन में रखने का मुझे मौका मिला है। उसके लिए आपका आभारी हूं। इस सदन में मैंने जब यह बिल रखा तो उसके बाद मेरे पास सारे भारतवर्ष से कई संस्थाओं से, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रही हैं, बहुत सारे खत प्राप्त हुए और बहुत सारे पोस्टर्स मिले जिनका वजन मैं समझता हूं 20-30 किलो से कम नहीं होगा। उनमें से थोड़े मैं यहां पर भी लाया हूं। बहुत सारे डेपुटेशन भी मुझ से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि आज तक जो भावनायें हम प्रदर्शित करते रहे हैं उनको सालों के बाद संसद में रखा गया है और इसके लिए हमारा आपको पूरा सहयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बिल ऐसे होते हैं जिनके दो पहलू होते हैं लेकिन यह बिल ऐसा है जिसका केवल एक ही पहलू है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ...(**व्यवधान**)

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Sir, this matter concerns the information and Broadcasting Ministry. The Minister concerned is not present here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The matter concerns the Home Ministry. The Minister is present.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : This subject has been transferred to the Home Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Mr. Patel, you can go ahead.

श्री मोहन लाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक लाने के पहले भी इस सदन में इस बारे में बहुत से प्रयत्न किए गए हैं। सदन के बाहर भी प्रयत्न हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आजकल बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं चाहे वह व्यक्तियों के द्वारा हों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हों या स्वयं सरकार द्वारा हों। सरकार द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बहुत से विधेयक यहां पर लाए गए हैं और बहुत से पास किए गए हैं और आगे चलकर सरकार का विचार और भी विधेयक लाने का है। सरकार ने अभी तक बलात्कार, आत्म हत्या, तलाक आदि के बारे में बहुत से कानून बनाए हैं और सदन के सदस्यों की इच्छा के अनुरूप नये नये विधेयक सदन में ला रही है। इसके बावजूद समाज में जो सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं उसका कारण क्या है? यह जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, आत्महत्यायें बढ़ रही हैं और तलाक वगैरह बढ़ रहे हैं इसके मूल में मैं समझता हूं नारी की देह का नग्न प्रदर्शन है। आजकल खुले आम बाजारों में हो रहा है उससे यह बुराइयां बढ़ रही हैं। आज ऐसे पोस्टर छपते हैं जिनको भाई-बहन या बाप-बेटी एक साथ देख नहीं सकते हैं। चाहे आप मैगनीज लीजिए या साइन-बोर्ड लीजिए या रास्तों में लगे हुए पोस्टर लीजिए वह इतने भद्दे होते हैं कि उनको वे एक साथ देख नहीं सकते हैं। स्त्री के देह के नग्न प्रदर्शन पर अगर पाबन्दी लगा दी जाए तो इससे क्या नुकसान

*Published in Gazette of India Extra-ordinary, Part-II, Section 2 dated 12.8.83.